कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, छतरपुर, म0प्र0

क्रमांक/3252/जि.पं./न.क्र.–102/एनआरईजीएस/09 छतरपुर, दिनांक 30-7-09

प्रति

मध्यप्रदेश माध्यम,
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल म.प्र.

विषय:– मशीन सेल अंतर्गत कुटेशन प्राप्त करने हेतु संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने बावत।

संदर्भ – इस कार्यालय का पत्र क्रमांक–3081 छतरपुर दिनांक 21.07.2009

बिषयान्तर्गत मशीन सेल अंतर्गत कुटेशन प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने हेत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई गई है, जिसका अभी प्रकाशन नही हुआ है, आज दिनांक 30.07.2009 पर हुई दूरभाष पर चर्चा अनुसार संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाना है जो संलग्न कर ई-मेल के माध्यम से आपको भेजी जा रही हैं।

अतः एक राज्य स्तरीय एवं दो स्थानीय समाचार पत्र में पूर्व मे प्रेषित विज्ञप्ति के स्थान पर संशोधित विज्ञाप्ति का प्रकाशन करावे। विज्ञापन प्रकाशन हेतु चैक क्रमांक 076051 दिनांक 02.07.09 राशि रूपये 3000.00 (तीन हजार मात्र) संदर्भित पत्र के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। राशि प्राप्ति की अभिस्वीकृति के साथ विज्ञापन प्रकशन उपरांत पेपर कंटिग भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(सी.ई.ओ. महोदय द्वारा आदेशित)

30/7/09
परियोजना अधिकारी (प्रशासन)
रा.ग्रामीण राजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला पंचायत छतरपुर

पृ.क्रमांक/3253/जि.पं./न. क. 102/एनआरईजीएस/09 छतरपुर, दिनांक 30-7-09

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी (एनआईसी) जिला छतरपुर की ओर मशीन सेल अंतर्गत कुटेशन प्राप्त करने हेतु संशोधित विज्ञप्ति संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। पूर्व विज्ञप्ति निरस्त करते हुए संशोधित विज्ञप्ति वेवसाइट WWW.Chhatarpur.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करे।

30/7/09
परियोजना अधिकारी (प्रशासन)
रा.ग्रामीण राजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला पंचायत छतरपुर

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर म.प्र.

(NREGS) जिला छतरपुर म.प्र.

कुटेशन प्राप्त करने हेतु संशोधित विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक–704 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / 53 / कौशल / 2007 भोपाल दिनांक 29.1.2007 के परिपालन मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत निम्न मशीनों की दरे जनपद पंचायतवार छतरपुर, नौगांव, लौडी, बारीगढ़, बड़ामलहरा, बक्सवाहा, बिजावर, राजनगर हेतु कार्यस्थल पर पहुचने डीजल इत्यादि सहित दरे आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित दरे जिला पंचायत कार्यालय के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के कक्ष में दिनांक 07.08.09 सांय 3.00 बजे तक बंद लिफाफे में जमा करें सभी प्राप्त लिफाफे दिनांक 07.08.09 को सांय 5.00 बजे खोले जावेगे जिसमें दरे प्रस्तुत करने वाले सभी फर्म / एजेंसी आमंत्रित रहेगी।

1. रोड रोलर
2. वाटर टेंकर टेक्ट्रर सहित
3. टेक्ट्रर ट्रली सहित
4. मिक्सर

क्रमांक – 1 की दरे प्रति घन्टे एवं क्रमांक – 2 से 4 की दरे प्रतिदिवस आमन्त्रित है। अन्य शर्ते का कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

30/7/09

परियोजना अधिकारी (प्रशासन)
रा.ग्रामीण राजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला पंचायत छतरपुर

दरो के अनुबंध की शर्ते–

1. मशीनरी किराये पर लेने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा मशीनरी सेवा दाता को यह सूचित किया जायेगा कि किस मशीनरी को कितने दिनो के लिए आवश्यकता है। समयावधि मे वृद्वि दोनो पक्षो की सहमति से हो सकती है।
2. संबंधित ग्राम पंचायत तक मशीनरी पहुचॅना मशीनरी सेवादाताओ का दायित्व है। जिसके लिये उसे पृथक से भुगतान देय नही होगा।
3. मशीनरी का चालक एवं डीजल उपलब्ध कराने तथा रखरखाव का दायित्व मशीनरी सेवादाताओ का होगा।
4. (अ) मशीनरी के किराये की दरे प्रतिदिन के मान से होगी। जिसमे डीजल के अतिरिक्त समस्त व्यय तथा टेक्स सम्मिलित होगें।
   (ब) रोड रोलर की दर प्रति घन्टे के मान से होगी समस्त व्यय तथा टेक्स सम्मिलित होगा।
5. दिन से तात्पर्य एक शिफट मे 08 घन्टे के कार्य से होगा। यदि एक दिन मे 08 घन्टे से अधिक उपयोग किया जायेगा तो अनुपातिक रूप से अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।
6. मशीनरी खराब रहने का कारण जितने दिन /घन्टे मशीन अनुपयोगी रहेगी उसका भुगतान नही किया जायेगा।
7. किराये का भुगतान प्रति सप्ताह बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। बिल भुगतान होने मे विलम्ब की स्थिति मशीनरी सेवाप्रदायदाता सेवाये बंद करने तथा मशीनरी वापस बुलाने का हकदार होगा।
8. बीमा–मशीनरी तथा ऑपरेटर का बीमा कराना सेवाप्रदायदाताओ का दायित्व होगा।
9. मशीनरी के लिए सुरक्षित पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना पंचायत का दायित्व होगा।
10. मशीनरी की लॉग बुक पर पंचायत प्रतिनिधि तथा सेवाप्रदायदाता के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होगें तथा इसकी छायाप्रति बिल के साथ लगाकर प्रस्तुत करना होगा।
11. मशीनरी सदैव ऑपरेटर के अधिपत्य होगी तथा उसकी सुरक्षा टूट फूट का दायित्व उसी पर होगा। ऑपरेटर के अनुरोध पर पंचायत द्वारा भी आवश्यकता पडने पर सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
12. मशीनरी का उपयोग सेवादाता के ऑपरेटर के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा नहीं किया जायेगा।
13. कार्यस्थल पर मशीनरी के उपयोग हेतु पर्याप्त सीन होना आवश्यक है कार्य पर मशीनरी ले जाने पर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा आपत्ति करने पर इसका निराकरण पंचायत को कराना होगा।
14. मशीनरी पर पंचायत द्वारा अपनी नेम प्लेट/लोगो आदि नही लगाया जायेगा।

15. वाद का निराकरण– मशीनरी सेवा प्रदायदाता एवं पंचायत के बीच किसी किसी प्रकार का वाद होने की स्थिति में संबंधित पक्ष द्वारा आवेदन करने पर उसका निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस अनुबंध से संबंधित सभी वाद जिला न्यायालय छतरपुर के अधीन होंगे।

16. संबंधित ग्राम पंचायत जिसके द्वारा मशीनरी किराये पर ली जायेगी इस अनुबंध का एक पक्ष माना जायेगा।